

16.10.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र मे आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व मे कई बार नोट करवाया गया है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

